

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना न० 60/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2017

सा०का०नि०(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39(6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (5) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-5 में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपनी विवरणी भरने के मामले में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 मास के लिए समय सीमा को 11 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाते हैं।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(रुचि बिष्ट)
अवरसचिव, भारतसरकार